

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का विकास और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका

डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा¹, दिपांक गंधे², दीपक कुर्मी³

1 सह-प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ:ग: 495009

Email : sharmakrishnakumar0107@gmail.com

2 शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ:ग: 495009

Email : dipankgandhey7@gmail.com

3 शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ:ग: 495009

Email : deepakkurmi2344@gmail.com

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आर्थिक विकास का एक सशक्त साधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) हैं। यह क्षेत्र न केवल औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन का भी प्रमुख स्रोत है। कृषि क्षेत्र के बाद MSME क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। वर्तमान शोधपत्र का उद्देश्य भारत में MSMEs के विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि यह क्षेत्र किस प्रकार से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहा है। इस शोध में MSME की वर्तमान परिभाषा के साथ उसके तीन वर्गों—सूक्ष्म, लघु और मध्यम—का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2020 में UDYAM पोर्टल की शुरुआत के बाद से MSMEs के पंजीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। MSME न केवल देश की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि यह विदेशी मुद्रा अर्जन का भी माध्यम हैं। रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से MSME क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह क्षेत्र कम पूंजी में अधिकतम मानव संसाधनों का उपयोग कर सकता है। MSMEs में करीब 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह (SHG), कौशल विकास योजनाएँ तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। MSME क्षेत्र न केवल भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बना रहा है, बल्कि यह देश के सामाजिक और रोजगारपरक ढाँचे को

भी मजबूती प्रदान कर रहा है। यदि इसके समक्ष उपस्थित बाधाओं को योजनाबद्ध नीति, वित्तीय समर्थन और तकनीकी नवाचार के माध्यम से दूर किया जाए, तो MSME क्षेत्र भारत को "आत्मनिर्भर भारत" की ओर ले जाने वाला प्रमुख मार्ग बन सकता है।

MSME का परिचय और वर्गीकरण

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र का एक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। यह क्षेत्र पारंपरिक कुटीर उद्योगों से लेकर आधुनिक उत्पादन और सेवा इकाइयों तक विस्तृत है। MSMEs न केवल छोटे स्तर पर उद्योगों की शुरुआत के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

MSME की परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है ताकि बदलते आर्थिक परिवेश और उद्योगों की वास्तविकताओं के अनुसार इसे बेहतर रूप में समाहित किया जा सके। वर्ष 2006 में पारित MSMED Act (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अंतर्गत MSMEs को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। प्रारंभ में इस वर्गीकरण का आधार उद्योग में लगाया गया पूंजी निवेश था, परंतु 1 जुलाई 2020 से सरकार ने निवेश और वार्षिक कारोबार (turnover) दोनों को आधार बनाकर नई परिभाषा लागू की, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और लचीलापन आया।

MSME का वर्गीकरण

श्रेणी	1 जुलाई, 2020 से पहले		वर्तमान (1 जुलाई, 2020 के बाद)	
	निवेश की सीमा	वार्षिक कारोबार की सीमा	निवेश की सीमा	वार्षिक कारोबार की सीमा
सूक्ष्म उद्यम	₹1 करोड़ तक	₹5 करोड़ तक	₹2.5 करोड़ तक	₹10 करोड़ तक
लघु उद्यम	₹10 करोड़ तक	₹50 करोड़ तक	₹25 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	₹50 करोड़ तक	₹250 करोड़ तक	₹125 करोड़ तक	₹500 करोड़ तक

यह नया वर्गीकरण उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए समान रूप से लागू है, जिससे दोनों क्षेत्रों को समान अवसर और लाभ मिल सकें।

MSME वर्गीकरण का उद्देश्य और महत्व

MSME वर्गीकरण का उद्देश्य और महत्व बहुआयामी है, जो नीतिगत योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय सहायता की सुव्यवस्था और उद्यमों के समुचित विकास से संबंधित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में MSMEs का वर्गीकरण सरकार को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह प्रत्येक स्तर के उद्यमों की आवश्यकता के अनुसार योजनाएँ—जैसे ऋण, सब्सिडी, टैक्स छूट, तकनीकी सहायता—तैयार कर सके। यह वर्गीकरण बड़े और छोटे उद्योगों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे समावेशी आर्थिक विकास को गति मिलती है। साथ ही, रोजगार सृजन की दृष्टि से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्राथमिकता देकर स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्गीकरण के माध्यम से MSME उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, निर्यात को बढ़ावा देना तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना आसान होता है। कुल मिलाकर, यह वर्गीकरण MSME क्षेत्र को सशक्त, संगठित और लक्ष्य-उन्मुख बनाता है।

MSME की व्यापकता और विविधता

भारत में MSME क्षेत्र की व्यापकता और विविधता अत्यंत विस्तृत और विविधतापूर्ण है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती है। वर्ष 2025 तक लगभग 6.4 करोड़ से अधिक MSMEs देशभर में पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये उद्यम ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से फैले हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों जैसे विनिर्माण (जैसे वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प), सेवा (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, टूरिज्म), कृषि-आधारित उद्योग (जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन) तथा खुदरा व्यापार आदि में कार्यरत हैं। MSMEs की यह विविधता न केवल आर्थिक उत्पादन को विविध बनाती है, बल्कि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, ये उद्यम बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे संपूर्ण औद्योगिक ढांचे में संतुलन और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

भारत में MSME क्षेत्र की वृद्धि

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का विकास हाल के वर्षों में उल्लेखनीय गति से हुआ है, जो सरकार की सक्रिय नीतियों, वित्तीय समावेशन, तकनीकी नवाचार और उद्यमशीलता के बढ़ते माहौल का परिणाम है। वर्ष 2006 में पारित MSME विकास अधिनियम (MSMED Act) ने इस क्षेत्र को कानूनी स्वरूप प्रदान किया, जिससे इसे नीति और योजना निर्माण में प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई। हालांकि MSME क्षेत्र लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहा है, परंतु इसका संरचित और पंजीकृत विकास विशेष रूप से वर्ष 2020 में 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' की शुरुआत के बाद दिखाई देने लगा। इस ऑनलाइन प्रणाली ने MSMEs को बिना किसी दस्तावेजीय जटिलता के डिजिटल रूप से पंजीकृत होने की सुविधा दी, जिससे औपचारिक MSMEs की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 2025 तक भारत में लगभग 6.4 करोड़ MSME इकाइयाँ पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश सूक्ष्म और लघु श्रेणी में आती हैं। इन उद्यमों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्रित है। यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बनकर उभरा है और भारत के GDP में लगभग 30% तथा निर्यात में 45% से अधिक योगदान देता है।

MSME क्षेत्र की प्रगति को गति देने में सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं और पहलों की प्रमुख भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर लाखों छोटे उद्यमों को सशक्त किया है। इसी प्रकार Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) ने MSMEs को संस्थागत वित्त प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी योजनाओं ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त, GeM पोर्टल, ONDC, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने MSMEs को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने, अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने का अवसर दिया है। तकनीकी नवाचार, डिजिटलीकरण और लॉजिस्टिक सुधारों के चलते MSMEs की उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में MSMEs ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे आर्थिक असमानताओं को कम करने, ग्रामीण पलायन को रोकने, और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने में

सहायता मिली है। इस क्षेत्र ने कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान भी लचीलापन दिखाया और लाखों लोगों को आजीविका का सहारा दिया।

इस प्रकार, भारत में MSME क्षेत्र ने केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि समावेशी, सतत और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को भी साकार किया है। यदि इस क्षेत्र को तकनीकी सहायता, वित्तीय सुदृढ़ता और बाजार की स्थायी पहुँच मिलती रही, तो यह भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

रोजगार सृजन में MSME की भूमिका

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में रोजगार सृजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र न केवल देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर सामाजिक संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। कृषि के बाद यह क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। MSME क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी श्रम सघन (Labour Intensive) प्रकृति है, अर्थात् यह कम पूंजी में अधिक मानव संसाधनों को समाहित करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र बेरोजगारी, अर्ध-बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में MSMEs स्थानीय संसाधनों, परंपरागत कौशल और कारीगरी को आधार बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आंतरिक पलायन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

MSME क्षेत्र रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुआयामी स्वरूप रखता है। एक ओर जहाँ यह स्वयं उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह अपने साथ कई सहायक श्रमिकों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विपणन से जुड़े लोगों के लिए भी अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा वस्त्र उत्पादन इकाई न केवल दर्जियों को रोजगार देता है, बल्कि उसके साथ जुड़े कपड़ा वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, परिवहन कर्मचारियों तथा पैकिंग और ब्रांडिंग सेवाओं से जुड़े अनेक व्यक्तियों को भी आजीविका प्रदान

करता है। यही वह गुण है जो MSMEs को "रोजगार उत्पत्ति के इंजन" के रूप में स्थापित करता है। महिला उद्यमिता को भी MSME क्षेत्र के माध्यम से विशेष बल मिला है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला को-ऑपरेटिव्स तथा गृह उद्योगों के माध्यम से महिलाएँ आज बड़े पैमाने पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हो रही हैं, जैसे – अचार, पापड़, हस्तशिल्प, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग इत्यादि। इससे महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही हैं।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं ने भी MSME क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक बिना गारंटी के ऋण प्राप्त कर छोटे व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं। यह योजना विशेषकर युवाओं, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को लक्षित करती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) जैसी योजनाएँ भी रोजगार उन्मुख MSMEs को बल प्रदान करती हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत MSMEs को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में सहायता दी जा रही है, जिससे विक्रय में वृद्धि और कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ी है। इसके अलावा, GeM (Government e-Marketplace) जैसे सरकारी पोर्टलों से MSMEs को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला है, जिससे उनके विस्तार की संभावनाएँ और रोजगार की संभावना दोनों में वृद्धि हुई है।

MSME क्षेत्र विशेष रूप से युवाओं और स्वरोजगार की संस्कृति को बढ़ावा देने में भी सहायक रहा है। परंपरागत नौकरियों की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भर्ती के चलते युवा अब उद्यमिता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। MSME क्षेत्र इन्हें आवश्यक समर्थन, प्रशिक्षण, वित्त और बाजार उपलब्ध करा रहा है। कौशल भारत मिशन (Skill India) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से युवाओं को प्रशिक्षित कर विभिन्न ट्रेडों में दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे MSMEs में काम कर सकें या स्वयं का उद्यम शुरू कर सकें। MSMEs द्वारा अप्रशिक्षित और अर्ध-प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार देना और उन्हें काम के दौरान प्रशिक्षित करना भी इस क्षेत्र

की विशेषता है। इससे औपचारिक शिक्षा से वंचित लोग भी उत्पादक कार्यों में भागीदारी कर सकते हैं।

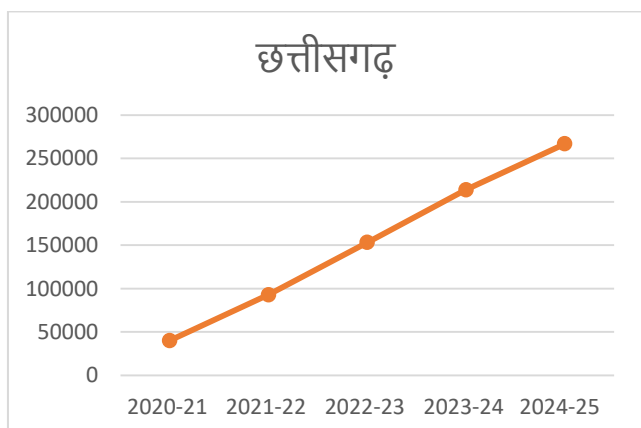
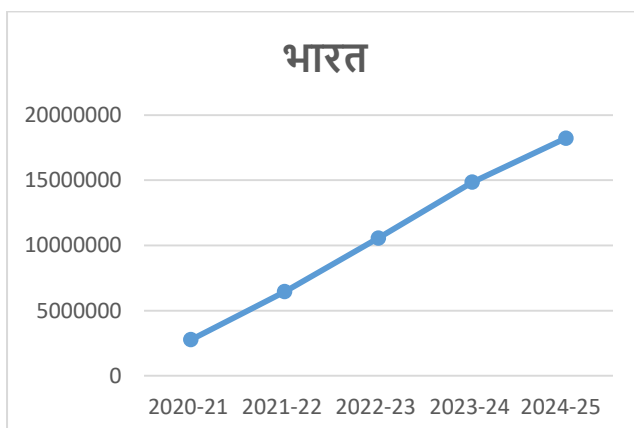
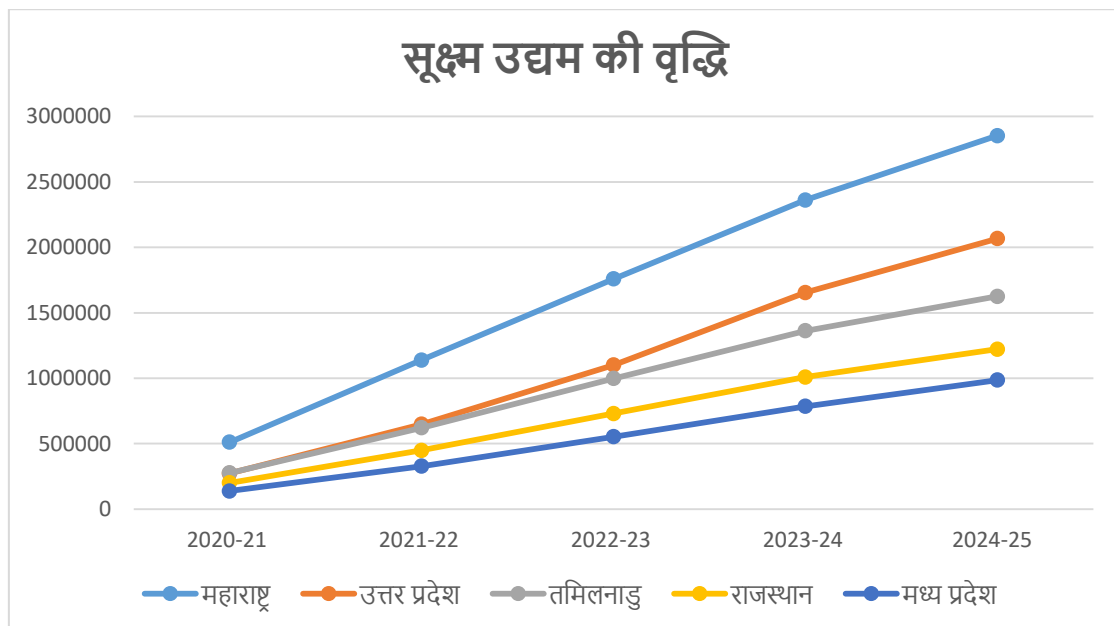
हालाँकि MSME क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता अत्यधिक है, परंतु इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं – वित्त की असुलभता, उच्च ब्याज दरों पर ऋण, बाजार में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी पिछड़ापन, श्रम कानूनों की जटिलता, कौशल की कमी तथा पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और MSMEs को डिजिटल सशक्तिकरण, नवाचार, अनुसंधान, विपणन, ब्रांडिंग, निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और प्रशिक्षण एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक है। MSME क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन का सबसे संभावनाशील और प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसकी बहुआयामी प्रकृति, विविधता, लचीलापन और श्रम केंद्रित कार्यशैली इसे उन वर्गों तक पहुँचाने में सक्षम बनाती है जिन्हें पारंपरिक रोजगार बाजार में अवसर नहीं मिलते। यदि इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त किया जाए, तो यह क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास का वाहक बनेगा, बल्कि सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण, युवा स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।

आँकड़ों का विश्लेषण

सूक्ष्म उद्यम की वृद्धि

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
महाराष्ट्र	511923	1139036	1759159	2361334	2852991
उत्तर प्रदेश	273222	648744	1100698	1654310	2066590
तमिलनाडु	276088	621719	997842	1362932	1624768
राजस्थान	201272	448769	730146	1008549	1222084
मध्य प्रदेश	139059	327914	552466	785851	986194
भारत	2759609	6454386	10561766	14841887	18226831
छत्तीसगढ़	39982	92752	153238	213834	266753

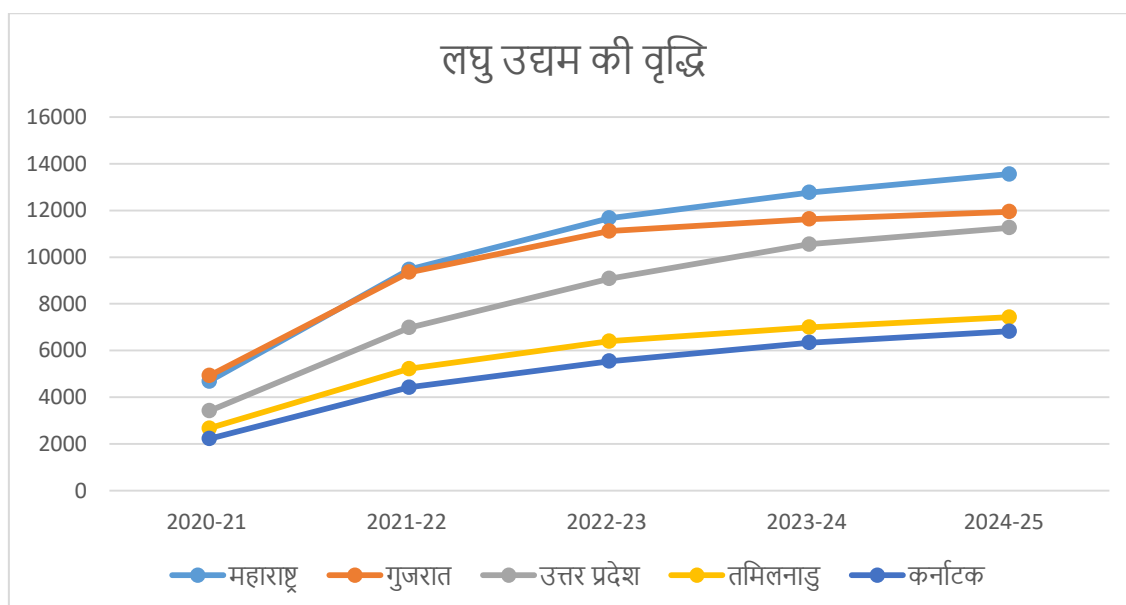
भारत में सूक्ष्म उद्यमों का विकास 2020-21 से 2024-25 तक तेजी से बढ़ा है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु अग्रणी राज्य हैं। हालाँकि, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने उच्च वृद्धि दर दिखाकर संतुलित विकास की संभावना को रेखांकित किया है। महाराष्ट्र ने 5.57 गुना वृद्धि (2020-21: 5.11 लाख → 2024-25: 28.52 लाख) के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यह राज्य के उद्योग-अनुकूल नीतियों और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। सर्वाधिक वृद्धि दर: मध्य प्रदेश (7.09 गुना)। बिहार (7.08 गुना) - यह इन राज्यों में सरकारी योजनाओं (जैसे मुद्रा लोन) के प्रभाव को दिखाता है। पश्चिम बंगाल ने भी 8.42 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो राज्य में सूक्ष्म उद्यमों के प्रति बढ़ती रुचि को प्रदर्शित करता है।

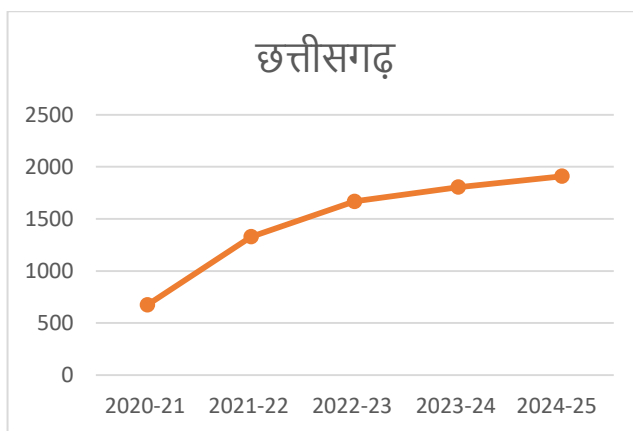
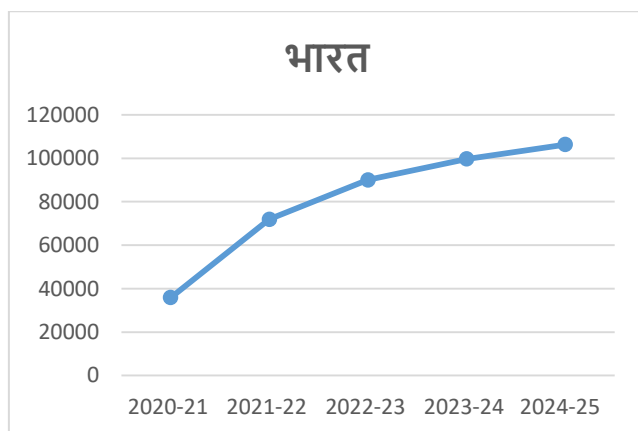


लघु उद्यम की वृद्धि

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
महाराष्ट्र	4688	9468	11670	12769	13556
गुजरात	4926	9356	11112	11626	11943
उत्तर प्रदेश	3420	6980	9080	10550	11261
तमिलनाडु	2671	5219	6397	6996	7429
कर्नाटक	2226	4422	5541	6338	6824
भारत	35905	71877	90071	99703	106288
छत्तीसगढ़	675	1329	1669	1805	1910

गुजरात ने 142% वृद्धि (2020-21: 4,926 → 2024-25: 11,943) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जो राज्य की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड नीतियों को दर्शाता है। महाराष्ट्र ने 189% वृद्धि (4,688 → 13,556) दर्ज की, परंतु 2023-24 से वृद्धि दर में मंदी (8.3%) देखी गई। सबसे तेज वृद्धि: उत्तर प्रदेश (229%) और तमिलनाडु (178%) - यह इन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है।

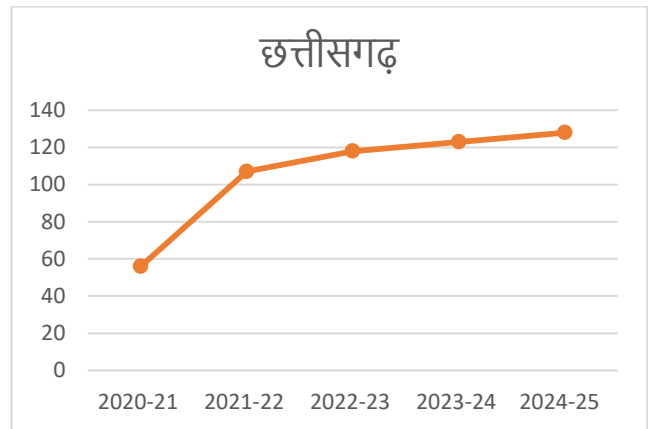
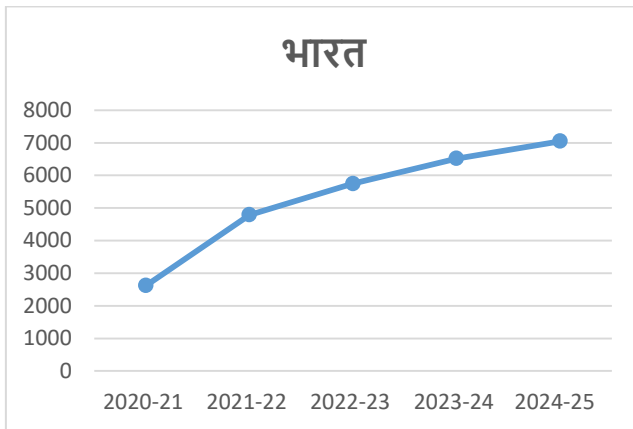
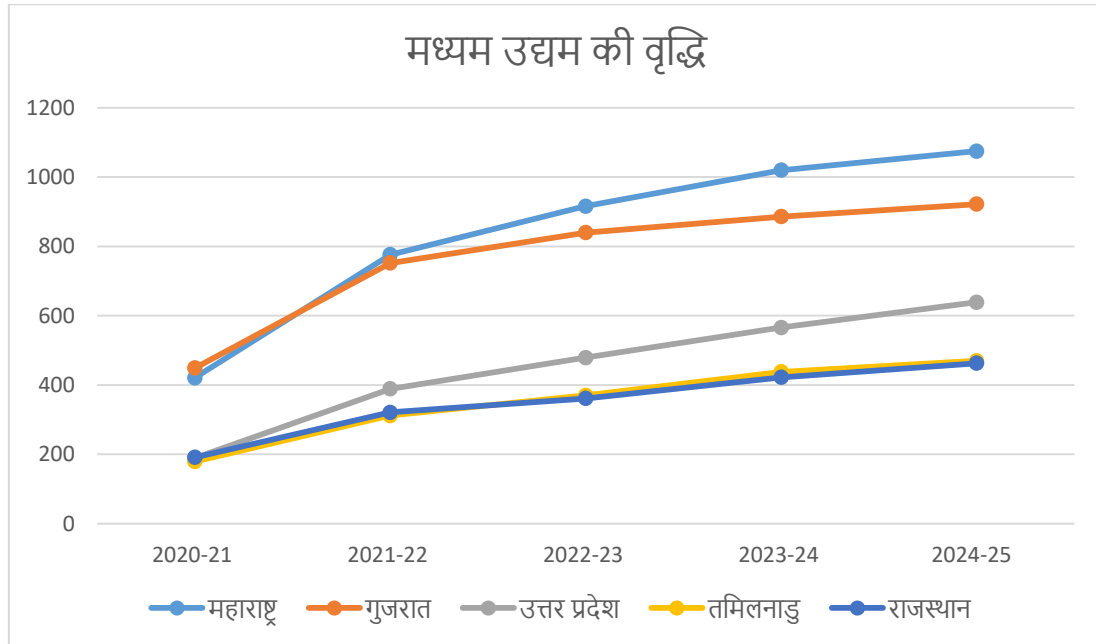




मध्यम उद्यम की वृद्धि

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
महाराष्ट्र	421	776	916	1020	1075
गुजरात	449	752	840	886	922
उत्तर प्रदेश	189	389	479	566	639
तमिलनाडु	179	312	370	438	470
राजस्थान	191	321	361	422	463
भारत	2619	4788	5749	6517	7050
छत्तीसगढ़	56	107	118	123	128

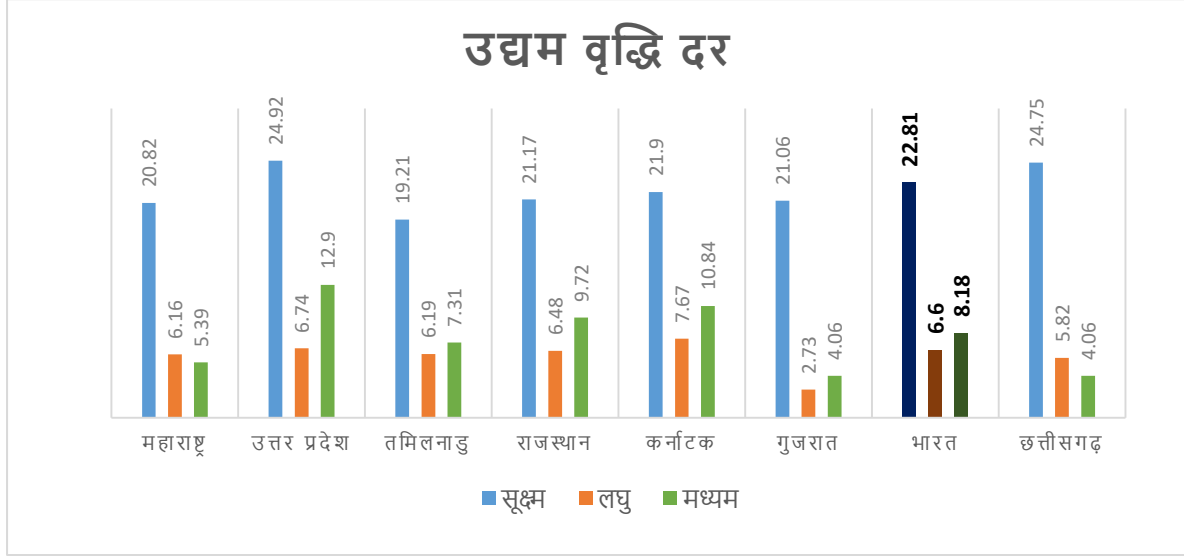
भारत के मध्यम उद्यम क्षेत्र ने 2020-21 से 2024-25 तक औसतन 165% वृद्धि दर्ज की है। महाराष्ट्र ने 155% की वृद्धि (2020-21: 421 → 2024-25: 1,075) के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जो राज्य के विकसित औद्योगिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। गुजरात ने 105% वृद्धि दर्ज की (449 → 922), परंतु 2023-24 से वृद्धि दर में मंदी (4.1%) देखी गई। सर्वाधिक वृद्धि दर: उत्तर प्रदेश (238%) और दिल्ली (180%) - यह राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियों की सफलता को प्रदर्शित करता है।



उद्यम वृद्धि दर

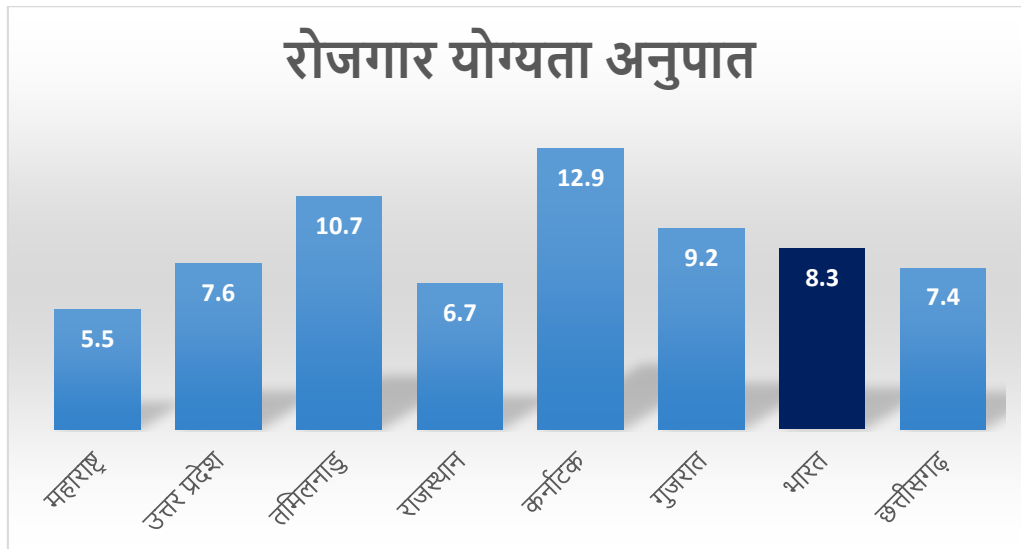
राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
महाराष्ट्र	20.82	6.16	5.39
उत्तर प्रदेश	24.92	6.74	12.90
तमिलनाडु	19.21	6.19	7.31
राजस्थान	21.17	6.48	9.72
कर्नाटक	21.90	7.67	10.84

गुजरात	21.06	2.73	4.06
भारत	22.81	6.60	8.18
छत्तीसगढ़	24.75	5.82	4.06



रोजगार योग्यता अनुपात

राज्य	पंजीकृत कुल उद्यम	दर्ज रोजगार	रोजगार योग्यता अनुपात
महाराष्ट्र	603378	3299683	5.5
उत्तर प्रदेश	555169	4208349	7.6
तमिलनाडु	365757	3929468	10.7
राजस्थान	278968	1869500	6.7
कर्नाटक	218746	2817806	12.9
गुजरात	200951	1844628	9.2
भारत	4290521	35648774	8.3
छत्तीसगढ़	60737	452901	7.4



MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, किंतु इस क्षेत्र को विकसित होने में अनेक संरचनात्मक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। MSMEs की रोजगार सृजन, नवाचार, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका होने के बावजूद, इन चुनौतियों के कारण इसकी पूरी क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है।

1. वित्तीय चुनौतियाँ: MSME क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है। अधिकांश MSMEs को प्रारंभिक पूंजी, कार्यशील पूंजी और तकनीकी उन्नयन के लिए आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। बैंक व वित्तीय संस्थान इन्हें असुरक्षित उधार मानते हैं क्योंकि इनके पास ज़रूरी जमानत नहीं होती या उनका ऋण इतिहास स्पष्ट नहीं होता। इससे ये उद्यम साहूकारों या अनौपचारिक स्रोतों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेने को मजबूर होते हैं, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।

2. तकनीकी पिछड़ापन: भारत के अधिकांश MSMEs आज भी पारंपरिक तकनीक पर निर्भर हैं। मशीनरी और उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण नहीं होने से उनकी उत्पादकता कम और गुणवत्ता अस्थिर रहती है। इसके चलते ये बड़े उद्योगों या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के सामने

टिक नहीं पाते। नवाचार व अनुसंधान पर निवेश की कमी भी उन्हें वैश्विक मानकों से पीछे रखती है।

3. विपणन और ब्रांडिंग की कमी: MSMEs के पास अपने उत्पादों का उचित विपणन (Marketing) और ब्रांड निर्माण (Branding) करने की क्षमता सीमित होती है। ये उद्यम अक्सर स्थानीय स्तर पर सीमित बाजार में सिमटे रहते हैं और बड़े खरीदारों या निर्यात बाजारों तक नहीं पहुँच पाते। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स साइट्स से जुड़ने में तकनीकी और जानकारी की कमी बाधा बनती है।

4. कौशल और मानव संसाधन की समस्या: MSME क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अर्ध-प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित होते हैं। कुशल श्रमिकों की कमी से न केवल उत्पादकता घटती है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता तो है, परंतु प्रशिक्षण का स्तर अक्सर MSMEs की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होता।

5. सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं की जटिलता: हालाँकि सरकार MSME के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ संचालित करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ प्राप्त करना कठिन होता है। पंजीकरण प्रक्रिया, टैक्स अनुपालन, श्रम कानूनों, पर्यावरणीय मंजूरी आदि में समय, पैसा और श्रम की बड़ी खपत होती है। बहुत से छोटे उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती, या उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता।

6. वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार दबाव: बढ़ते वैश्वीकरण के चलते MSMEs को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और उनके ब्रांडेड उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। बड़ी कंपनियाँ मूल्य में छूट, विज्ञापन में निवेश, और वितरकों पर पकड़ के दम पर बाजार पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे छोटे उद्यम पीछे रह जाते हैं।

7. आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की समस्याएँ: MSMEs अक्सर कच्चे माल की समय पर और सस्ती आपूर्ति से जूझते हैं। वहीं, अपने तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में उन्हें परिवहन, भंडारण, और वितरण की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत MSMEs के लिए यह समस्या और अधिक गहन हो जाती है।

8. डिजिटलीकरण और सूचना की कमी: डिजिटल इंडिया अभियान के बावजूद MSME क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता की कमी है। ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग बहुत कम है। इसके चलते MSMEs वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से पीछे छूट जाते हैं।

सरकार की योजनाएँ एवं समर्थन

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सशक्त करने और इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत तथा व्यापक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ, नीतियाँ और संस्थागत समर्थन प्रदान किए हैं। ये योजनाएँ MSMEs को वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, बाजार तक पहुँच, कौशल विकास, डिजिटलीकरण और आसान पंजीकरण की दिशा में समर्थन देती हैं।

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): इस योजना के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। मुद्रा लोन को शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में बाँटा गया है, जिससे MSME की विभिन्न अवस्थाओं को समर्थन मिलता है। यह योजना छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों, कारीगरों और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा देती है।

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित होती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को सब्सिडी युक्त ऋण दिया जाता है, जिससे वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दें।

3. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE): इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बिना जमानत के ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सरकार बैंकों को इस ऋण के लिए आंशिक गारंटी देती है, जिससे ऋण स्वीकृति की संभावना बढ़ती है। यह विशेष रूप से नवोदित उद्यमियों के लिए सहायक है।

4. समर्थ योजना: यह योजना MSME क्षेत्र में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा, और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाती है। इसके तहत प्रशिक्षण, टूलकिट, प्रमाणपत्र और उद्यमिता विकास जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं।

5. CHAMPIONS पोर्टल: (Champions – Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) नामक यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा MSMEs की शिकायतों, सुझावों और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया है। यह एक रियल-टाइम हेल्प डेस्क के रूप में काम करता है जो MSME इकाइयों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ने में सहायक है।

6. UDYAM पंजीकरण: सरकार ने MSME के लिए ऑनलाइन self-declaration आधारित पंजीकरण प्रणाली शुरू की है, जिसे “उद्योग आधार” से बदलकर “उद्यम” कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को निःशुल्क, सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पंजीकृत इकाइयों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, जैसे टैक्स में छूट, सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, और सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा।

7. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत MSME सुधार: कोविड-19 के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा (Emergency Credit Line Guarantee Scheme - ECLGS) शुरू की। इससे संकट में फंसे लाखों MSMEs को कार्यशील पूंजी प्राप्त हुई। साथ ही, MSME की परिभाषा में भी बदलाव कर निवेश व टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई ताकि अधिक से अधिक इकाइयाँ इसका लाभ उठा सकें।

8. एक्सपोर्ट प्रमोशन और जीईएम (GeM) पोर्टल: सरकार ने MSMEs को सरकारी खरीद और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए Government e-Marketplace (GeM) की शुरुआत की है। इससे MSMEs को बिना बिचौलिए के सरकारी विभागों को उत्पाद व सेवाएँ बेचने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त, MSME निर्यातकों को interest subvention योजना के तहत ब्याज पर सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष और सुझाव

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई विभिन्न योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, CGTMSE, समर्थ योजना, UDYAM पंजीकरण, CHAMPIONS पोर्टल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आपातकालीन ऋण सुविधा, GeM पोर्टल आदि, इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, बाज़ार तक पहुँच और कौशल विकास के माध्यम से एक सशक्त और आत्मनिर्भर इकाई बनाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएँ विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं। हालांकि इन योजनाओं की संरचना समावेशी और प्रभावशाली है, लेकिन इनका वास्तविक लाभ तभी संभव है जब इन्हें ज़मीनी स्तर तक पारदर्शिता, जागरूकता और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी रूप से पहुँचाया जाए। यदि ऐसा किया जाए, तो MSME क्षेत्र न केवल देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सतत और समावेशी रोजगार सृजन का मुख्य आधार बनकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करेगा।

MSME क्षेत्र को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे पहले, ऋण सुविधा को और अधिक सहज एवं ज़मीनी स्तर तक पहुँच योग्य बनाना आवश्यक है ताकि सूक्ष्म और नवोदित उद्यमियों को बिना जमानत के आसानी से वित्तीय सहायता मिल सके। तकनीकी उन्नयन के लिए MSMEs को आधुनिक मशीनरी, डिजिटलीकरण और नवाचार में सहयोग देना चाहिए, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो सके। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से लागू करना होगा ताकि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जा सके। बाज़ार तक पहुँच के लिए MSMEs को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, GeM पोर्टल और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से जोड़ना चाहिए, जिससे वे देश-विदेश में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बेच सकें। सरकारी योजनाओं की जटिलताओं को कम कर उन्हें सरल और पारदर्शी बनाना भी आवश्यक है, साथ ही पंजीकरण, अनुमोदन और लाभ प्राप्ति की प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यमों से सुगम बनाना होगा। अंततः,

एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण अपनाकर MSME क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2023). Annual Report 2022-23. Government of India. <https://msme.gov.in>
- Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2022). MSME Sector: Key Statistics. <https://mospi.gov.in>
- International Finance Corporation. (2018). Financing India's MSMEs: Estimation of Debt Requirement of MSMEs in India. <https://www.ifc.org>
- SIDBI. (2022). MSME Pulse Report (Q2 2022). TransUnion CIBIL & SIDBI.
- Reserve Bank of India. (2021). Report of the Expert Committee on MSMEs. <https://rbi.org.in>
- Singh, R. (2021). Role of MSMEs in Employment Generation in India. Journal of Economic Policy and Research, 16(2), 45-56.
- चौहान, आर. (2020). भारत में लघु एवं मध्यम उद्योग: आर्थिक विकास में भूमिका. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- UNIDO. (2021). MSME Competitiveness and Sustainability in Developing Countries.
- Gupta, S. & Sahu, P. (2022). Digital Transformation in Indian MSMEs: Opportunities and Challenges. IJRAR, 9(1), 233-241.
- KPMG & CII. (2019). Indian MSME Sector: Challenges and Potential. <https://kpmg.com/in>
- NITI Aayog. (2020). Strategy for New India @75. <https://niti.gov.in>
- Press Information Bureau. (2020). Revised Definition of MSMEs under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. <https://pib.gov.in>
- Sharma, A. (2023). MSME Sector Reforms in Post-COVID Era: A Policy Review. Indian Journal of Public Administration, 69(1), 101–115.
- Confederation of Indian Industry (CII). (2022). Empowering Indian MSMEs for Global Competitiveness.
- MSME Sampark Portal. (2024). Skill & Entrepreneurship Resources. <https://sampark.msme.gov.in>
- Jain, M., & Verma, T. (2021). Financial Inclusion and MSME Development: An Indian Perspective. Economic Affairs, 66(3), 457–465.
- Khadi and Village Industries Commission. (2023). PMEGP Progress Report. <https://kviconline.gov.in>
- भारतीय रिज़र्व बैंक. (2022). भारत में लघु उद्योग की स्थिति और दिशा. मुंबई: रिज़र्व बैंक प्रकाशन.
- Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI). (2021). MSMEs: Engines of Growth for India.



- Rani, N., & Singh, K. (2020). Entrepreneurship Development through MSMEs in India. Journal of Entrepreneurship and Management, 9(1), 16–29.